सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2021

नकली कृषि बीजो की पैकिंग कर उन्नत किस्म के बीज बताकर बिक्री वाले गिरोह का पर्दाफाश, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली बीज बरामदः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने कोविड—19 के दृष्टिगत कालाबाजारी करने व धोखाधड़ी कर नकली समान को असली बताकर बिक्री वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। इसी निर्देश के क्रम में थाना खोडारे पुलिस को लॉक डाउन पालन कराने के दौरान नकली व खराब किस्म के कृषि बीजो की पैकिंग कर उन्नत किस्म के बीज बताकर 10 गुना दाम पर बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 27.05.2021 को थाना खोड़ारे के उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम के लॉकडाउन पालन कराने के दृष्टिगत क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर सस्ते व खराब किस्म के कृषि बीजो की पैकिंग कर उन्नत किस्म के बीज बताकर 10 गुना दाम बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 18 अदद बोरियों में 7 कुन्तल 60 कि0ग्राम धान, 23 अदद प्लास्टिक के पैकेट में 69 कि0ग्राम धान, 8 अदद पैकेट में 4 किलो प्याज के बीज, धान सरसो बीज व मूली बीज के खाली प्लास्टिक के 1215 पैकेट, 01 अदद तराजू व बोरा सिलने की मशीन बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग दिल्ली से अच्छी कंपनी के पैकेट मंगाकर उसमे सस्ते व खराब किस्म के कृषि बीज भरकर उन्हें उन्नत किस्म के बीज बताकर बाजार में महंगे दामों पर बिक्री करते है। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. विद्यासागर पुत्र मंगरे चौहान नि0 कूकनगर ग्रण्ट खैराड़ी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. संतराम उर्फ बाहिर उर्फ साधु पुत्र रामासरे नि0 कूकनगर ग्रण्ट खैराड़ी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—70/21, धारा 419.420.467.468.471 भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 18 अदद बोरियों में 7 कुन्तल 60 कि0ग्राम धान।
02. 23 अदद प्लास्टिक के पैकेट में 69 कि0ग्राम धान।
03. 8 अदद पैकेट में 4 किलो प्याज के बीज
04. धान सरसो बीज व मूली बीज के खाली प्लास्टिक के 1215 पैकेट।
05. 01 अदद तराजू, बोरा सिलने की मशीन।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 28.05.2021

25,000 / – का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित / वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे आज दिनांक 28.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज मय पुलिसबल के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त भूपेंद्र सिंह उर्फ कप्तान सिंह को चमदाई नदी पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।
उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0– 109 / 2021 धारा 307,386 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा में वांछित था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने रू0 25,000 / – का पुरस्कार घोषित किया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. भूपेंद्र सिंह उर्फ कप्तान सिंह पुत्र दृगराज सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–177 / 2021 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–400 / 18 धारा 307,506,427 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–421 / 19 धारा 323,504,506,341 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–01 / 20 धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–54 / 20 धारा 342,336,452,506,504 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–76 / 20 धारा 323,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–114 / 20 धारा 147,148,452,323,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0–150 / 20 धारा 307,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0–153 / 20 धारा 307 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0–154 / 20 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0–82 / 21 धारा 307,427,504 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
11. मु0अ0सं0–109 / 21 धारा 307,386 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक वजीरंगज संतोष कुमार तिवारी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2021

गैरइरादतन हत्या करने की 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मु0अ0सं0–165/21, धारा 304 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्ता–राजरानी व बिन्दवासिनी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्ताओं को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. राजरानी पुत्री सतगुरू प्रसाद नि0 सुमेरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. बिन्दवासिनी पुत्री सतगुरू प्रसाद नि0 सुमेरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–165/21, धारा 304 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 जयप्रकाश सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2021

छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मु0अ0सं0–112/21, धारा 354 क भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–सुनील कुमार यादव को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुनील कुमार यादव पुत्र लखन यादव नि0 सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–112/21, धारा 354 क भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 रणजीत यादव मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अजमेर अली उर्फ ननके पुत्र जमीउल्लाह निवासी पहाडापुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–166/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. श्रीमती विमला पत्नी स्व0 निब्बर निवासी इमलिया गुरूदयाल थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–394/21, 02. शिवकुमार पुत्र पटमेश्वरी निवासी खालेपुरवा रानीपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–395/21, 03. नगीना प्रसाद पुत्र अनन्तराम निवासी खालेपुरवा रानीपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–396/21, 04.रमेश कुमार पुत्र स्व0श्यामलाल नि0 पोखरा धनौली थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 396/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।